विषयानुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम	1
3.	विभाग के अंतर्गत आने वाले संचालनालय, आयोग तथा निगम	2
4.	संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण प्रमुख गतिविधियां	2
5.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	3
6.	प्रदाय व्यवस्था	3
7.	केन्द्र से राज्य के खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसीन का आबंटन	4
8.	उचित मूल्य दुकानें	4
9.	राशनकार्ड	5
10.	पहुंचविहीन क्षेत्रों में भंडारण	5
11.	पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण	5–6
12.	जन–केरोसीन परियोजना	6–7
13.	निरीक्षण रोस्टर	7
14.	निगरानी समितियां	7–8
15.	सिटीजन चार्टर	8
16.	सूचना का अधिकार	8
17.	आवश्यक वस्तु अधिनियम का क्रियान्वयन	9
18.	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत राज्यस्तरीय कार्रवाई	10
19.	चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई	10
20.	मूल्य निगरानी एवं समीक्षा	10
21.	समर्थन मूल्य पर उपार्जन	10–12
22.	उपभोक्ता संरक्षण	12
23.	आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	13
24.	संसदीय कार्य	13
25.	न्यायालयीन प्रकरण	13
26.	महिला नीति	14
27.	नापतौल (विधिक माप विज्ञान) स्थापना	14
28.	पदक्रम सूची की स्थिति	15
29.	राजस्व आय	16
30.	अपराधों का पंजीयन	16
31.	अनुज्ञप्तियां	17
32.	न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति	17

33.	संसदीय कार्य	17
34.	वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर तक की उपलब्धियां	18–19
35.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग	19–22
36.	विभाग का बजट	22–24
37.	मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कारपोरेशन	25–26
38.	मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन	27–30
39.	परिशिष्ट 'एक' (भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो)	31–32
40.	परिशिष्ट 'दो' (मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कारपोरेशन के प्रदाय केन्द्र)	33–34
41.	परिशिष्ट 'तीन' (लीड एवं लिंक समितियों की संभागवार/जिलेवार जानकारी)	35–36
42.	परिशिष्ट 'चार' (खाद्यान्न / शक्कर का आबंटन एवं वितरण)	37
43.	परिशिष्ट 'पांच' (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की वर्तमान दरें)	38
44.	परिशिष्ट 'छह' (उचित मूल्य की दुकानें)	39
45.	परिशिष्ट 'सात' (सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों की जानकारी)	40–41
46.	परिशिष्ट 'आठ' (मिट्‌टी तेल के आबंटन/उठाव की वर्षवार स्थिति)	42
47.	परिशिष्ट 'नौ' (पेट्रोल, डीजल, मिट्‌टी तेल तथा एलपीजी के डीलर्स की जानकारी)	43
48.	परिशिष्ट 'दस' (केरोसीन डिपो की जानकारी)	44
49.	परिशिष्ट 'ग्यारह' (एलपीजी बॉटलिंग प्लांट)	45
50.	परिशिष्ट 'बारह' (जन–केरोसीन परियोजना के विकासखण्ड)	46
51.	परिशिष्ट 'तेरह' (समर्थन मूल्य अंतर्गत खाद्यान्न खरीदी दरों की तुलनात्मक जानकारी)	47
52.	परिशिष्ट 'चौदह' (समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन)	48
53.	परिशिष्ट 'पन्द्रह' (जिला उपभोक्ता विवाद फोरम की जानकारी)	49

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रस्तावना :—

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत दो विभागीय स्थापनाएं— यथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नाप—तौल सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग को भी उपभोक्ता फोरमों के कार्य पर्यवेक्षण के लिये आयोग के रजिस्ट्रार को विभागाध्यक्ष के अधिकार दिये गये हैं। विभाग को सौपें गये दायित्व इन स्थापनाओं के माध्यम से संपादित किये जाते हैं।

विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय निम्नानुसार हैं:—

(1) खाद्यान्नः—
(क) मूल्य और बाजार सूचना (ख) प्राप्ति (ग) संग्रहण (स्टोरेज) (घ) राज्य में और राज्य के बाहर संचलन (ड़) वितरण जिसमें राशनिंग सम्मिलित है।
(2) खाद्य पदार्थ, उदाहरणार्थः— खाद्यान्न, शक्कर, खाद्य तेल—मूल्य, संचलन और वितरण।
(3) नमक—मूल्य, संचलन और वितरण
(4) खाद्यान्न, शक्कर, नमक नियंत्रण
(5) अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोडकर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम और अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण।
(6) डीजल पेट्रोल और मिट्टी के तेल का वितरण।
(7) खाद्यान्न मिलिंग (Milling) उद्योग
(8) थोक और फुटकर मूल्यों का संकलन
(9) बॉट और माप
(10) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रतितोष।

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
2. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934
3. बांट तथा माप मानक अधिनियम, 1976
4. बांट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
6. चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980

विभाग द्वारा प्रशासित नियम

1. म.प्र.नाफ्था (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम, 2000
2. म.प्र.विलायक रेफीनेट और स्लाफ (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम, 2000
3. बांट तथा माप मानक (डिब्बा बंद वस्तु) नियम, 1977
4. बांट तथा माप मानक (सामान्य) नियम, 1987
5. मध्यप्रदेश बांट तथा माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1989
6. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

7. मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

विभाग के अंतर्गत आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय

विभाग के अधीन दो विभाग (1) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय (2) नियंत्रक नापतौल एवं एक आयोग मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, तथा दो निगम (क) मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन (ख) मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेशन कार्यरत हैं।

संचालनालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

संचालनालय के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:—

1. उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करवाना।
2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन। केन्द्र से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न आबंटनों का जिलेवार विभाजन जारी करना एवं उसकी समीक्षा।
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का परिपालन।
4. घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, तथा मोटे अनाज के उपार्जन की व्यवस्था कराना ताकि कृषकों को उपज का उचित मूल्य मिल सके।
5. विभाग की ओर से विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य।

स्थापना — मुख्यालय

संचालनालय में निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं :—

1	आयुक्त	1
2	संयुक्त संचालक	1
3	उप संचालक	2
4	उप संचालक (लेखा)	1
5	सहायक संचालक	3
6	तृतीय वर्ग कर्मचारी	61
7	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	13

जिला खाद्य कार्यालय

1	जिला आपूर्ति नियंत्रक	7
2	जिला आपूर्ति अधिकारी	34
3	सहायक आपूर्ति अधिकारी	145
4	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	400
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	244
6	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	123

पदक्रम सूची की स्थिति

विभाग में निम्नानुसार पदक्रम सूचियां श्रेणीवार जारी की गई हैः–

(1) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की पदक्रम सूची दिनांक 01.04.2007 की स्थिति में जारी की जा चुकी है।

(2) संचालनालयीन स्थापना लिपिकीय (तृतीय श्रेणी) एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदक्रम सूची दिनांक 01.04.2007 तक जारी की जा चुकी है।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की स्थिति

तृतीय वर्ग कार्यपालिक पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 27.06.2007 को बैठक आयोजित की गई। समिति के अनुशंसा अनुसार पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किये जा चुके हैं। संचालनालयीन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.03.2007 को आयोजित की गई। समिति की अनुशंसा अनुसार पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किये जा चुके हैं।

प्रमुख गतिविधियां
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल एवं अन्य नियंत्रित वस्तुऐं उचित दर पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकता का आंकलन करना, आबंटन जारी करना एवं उचित मूल्य की दुकान से निर्धारित दर एवं मात्रा में वितरण सुनिश्चित कराने हेतु भारत शासन के निर्देशो के अनुसार 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' दिनांक 01.06.97 से क्रियाशील है।

प्रदाय व्यवस्था

प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के 39 बेस डिपो स्थापित हैं जिससे ए.पी.एल., बी.पी.एल. तथा अन्त्योदय अन्न योजना खाद्यान्न का प्रदाय किया जा रहा है। केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'एक ' में उल्लेखित है।

राज्य शासन की एजेन्सी मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से खाद्यान्न एवं शक्कर कारखानों से शक्कर उठाकर अपने 187 प्रदाय केन्द्रों (परिशिष्ट 'दो') के माध्यम से 228 लीड समितियों को उपलब्ध कराता है। प्रदेश में 7088 लिंक समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। लीड व लिंक समितियों का जिले एवं संभागवार विवरण परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।

प्रदेश में विगत 5 वर्षों की आबंटन एवं वितरण की जानकारी परिशिष्ट 'चार' में उल्लेखित है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश को केन्द्र शासन से प्रतिमाह गेहूं/चावल/शक्कर/मिट्टी तेल का आबंटन प्राप्त होता है। माह दिसम्बर 2007

से मार्च 2008 तक प्रदेश को मक्का एवं बाजरा का आबंटन भी प्राप्त हुआ है। केन्द्र शासन की प्रदाय दरों में अनुषांगिक व्यय जोड़कर राज्य शासन द्वारा खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसीन की उपभोक्ता दरें निश्चित की जाती हैं। अन्त्योदय अन्न योजना अन्तर्गत अनुषांगिक व्यय की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाकर भारत सरकार के प्रदाय दर पर ही उपभोक्ताओं को वितरित कराया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की उपभोक्ता दरें फरवरी 2008 की स्थिति में परिशिष्ट 'पांच' में उल्लेखित है।

केन्द्र से राज्य को खाद्यान्न शक्कर एवं मिट्टी के तेल का आबंटन

माह फरवरी 2008 की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह निम्नानुसार आबंटन प्राप्त हो रहा है :–

(मात्रा मे.टन / किलोलीटर में)

खाद्यान्न	ए.पी.एल.	बी.पी.एल.	अन्त्योदय	योग
गेहूं	4740	61006	46683	112429
चावल	2130	22512	3172	27814
बाजरा	–	4000	4000	8000
मक्का	–	1500	1500	3000
मिट्टी तेल	52320			52320
शक्कर	–	12800		12800

प्रदेश में बीपीएल एवं अन्त्योदय राशन कार्डधारियों को शक्कर के लिए बाजार पर निर्भर न होना पड़े इस उद्देश्य से प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में कम से कम 2 क्विंटल स्कंध की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके साथ साथ शक्कर का वितरण मान प्रति सदस्य 1000 ग्राम की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है।

उचित मूल्य दुकानें

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 01.01.1992 से सहकारीकरण किया गया है। दिनांक 01.01.2008 की स्थिति में 20311 दुकानें संचालित हैं जिनमें से 3800 शहरी क्षेत्रों में तथा 16511 ग्रामीण क्षेत्रों में है। प्रदेश के टीकमगढ़ एवं दतिया जिलों में कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में असमर्थता व्यक्त करने पर पंचायतों को दुकान संचालन का कार्य सौंपा गया है। सहकारी क्षेत्र में चलने वाली कृषि साख सहकारी समितियों की उचित मूल्य की दुकानों को हानि की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने प्रावधान किये है तथा हानि की प्रतिपूर्ति के लिए बजट में प्रतिवर्ष आबंटन किया जाता है। इस वर्ष रूपये 20 करोड़ का प्रावधान है। उचित मूल्य दुकानों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'छह' में उल्लेखित है।

राशनकार्ड

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध कराने की दृष्टि से राशनकार्ड प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत एवं केन्टोनमेन्ट बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत गरीबी रेखा से उपर के परिवारों को (एपीएल) राशनकार्ड बनाने के अधिकार हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाते है।

वर्ष 1991 तथा 1997–98 की सर्वे सूची के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों को राशनकार्ड प्रदाय किए गए थे। मई 2006 में प्रदेश के एपीएल, बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड नए सिरे से जारी किए गए है। यह राशन कार्ड वर्ष 2003 में तैयार की गई सर्वे सूची के आधार पर जारी किए गए है और पूर्व के प्रचलित सभी राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए है। एपीएल राशन कार्ड नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत जारी किए जाते है। दि 01.01.2008 की स्थिति में प्रदेश में 81,46,380 ए.पी.एल. (गरीबी रेखा से उपर) राशनकार्ड तथा 45,44,241 बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) राशनकार्ड हैं। अन्त्योदय अन्न योजना अति गरीब परिवारों के लिये दिनांक 06.03.2001 से प्रदेश में लागू की गई है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 15,79,108 राशन कार्ड प्रचलित है। प्रदेश में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. परिवारों को जारी किए गए राशनकार्डो की जिलेवार जानकारी परिशिष्ट 'सात' में उल्लेखित है।

पहुंचविहीन क्षेत्रों में भंडारण

प्रदेश के ऐसे स्थानों, जिनके आवागमन मार्ग वर्षा ऋतु के दौरान स्थायी रूप से अवरूद्ध हो जाते हैं, में खाद्यान्न, शक्कर तथा केरोसीन उपभोक्ताओं को सुलभ कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व ही संग्रहण किया जाता हैं । शासन द्वारा सहकारी समितियों को इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुऐं चार माह के लिए संग्रहित करने हेतु बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2007–08 में 1,251 पहुंचविहीन केन्द्र के लिए बिना ब्याज का ऋण राशि रूपये 20.34 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

पेट्रोलियम पदार्थो का वितरण

केन्द्र शासन से प्रतिमाह 52,320 के.एल. मिट्टी के तेल का आबंटन प्राप्त हो रहा है, जो तेल कंपनियों द्वारा थोक विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल उचित मूल्य दुकानों, फुटकर विक्रेताओं एवं हॉकर्स के माध्यम से उपलब्ध होता है। प्रदेश में मिट्टी तेल वितरण हेतु आयल कंपनी के 306 थोक विक्रेता हैं, इसके अतिरिक्त 333 सेमी होलसेलर, 1375 फुटकर केरोसीन अनुज्ञप्तिधारी तथा 2199 हॉकर्स कार्यरत हैं। मिट्टी के तेल के गत 05 वर्षों के तुलनात्मक आबंटन एवं उठाव की जानकारी परिशिष्ट 'आठ' में उल्लेखित है।

उपभोक्ताओं को केरोसीन की सरल और सुगम उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर केरोसीन के थोक विक्रेता अपने टैंकर्स से शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सीधे केरोसीन उपलब्ध कराते हैं। यह योजना इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर में अगस्त 1993 से प्रभावशील है।

तेल कंपनियों की प्रदाय दरों के आधार पर क्षेत्र विशेष के लिये परिवहन व्यय आदि जोड़कर उपभोक्ता क्रय दरें कलेक्टरों द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य में केरोसीन की उपभोक्ता दर रूपये 9.19 पैसे से रूपये 11.17 पैसे प्रति लीटर तक हैं।

प्रदेश में गत वर्ष 2006 तक ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राशनकार्ड पर 3 लीटर तथा नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राशनकार्ड पर 5 लीटर प्रदाय किया जाता था। राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में यह मात्रा 4 लीटर प्रति राशनकार्ड निर्धारित की है। प्रदेश में माह नवम्बर, 2007 से बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 5 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रति माह प्रदाय कराया जा रहा है। इसके उपरान्त जिले में केरोसीन शेष बचने पर फ्रीसेल पर 2 लीटर प्रति व्यक्ति बिना राशनकार्ड के उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाता है। भारत शासन के निर्देशानुसार एल.पी.जी. के डबल बाटल कनेक्शनधारी को केरोसीन नहीं दिया जाता है, जबकि सिंगल बाटल कनेक्शनधारी को उनके राशनकार्ड पर उक्त निर्धारित मात्रा से आधी मात्रा में केरोसीन दिया जाता है।

उपभोक्ताओं को समय पर केरोसीन उपलब्ध कराने हेतु थोक केरोसीन विक्रेताओं को उन्हें आवंटित मात्रा को माह की 10 तारीख तक 60 प्रतिशत, 17 तारीख तक 85 प्रतिशत तथा 25 तारीख तक शतप्रतिशत उठाव के निर्देश हैं।

प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल का वितरण 1656 पम्पों तथा एल.पी.जी. 569 डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराया जाता है। कंपनीवार विवरण तथा एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट की जानकारी क्रमशः परिशिष्ट 'नौ', 'दस' एवं 'ग्यारह' में उल्लेखित है।

जनकेरोसीन परियोजना

भारत सरकार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जन केरोसीन परियोजना दिनांक 02.10.2005 से लागू की गई है। प्रदेश में 48 जिलों में से 24 जिलों के 30 विकासखण्डों का चयन किया गया है।

चयनित विकासखण्डों में से 28 विकासखण्डों में जन केरोसीन परियोजना संचालित है। दो स्थानों पर न्यायालय स्थगन है। इस परियोजना अंतर्गत संचालित स्थानों में आयल कंपनी के डीलर्स अपने कारोबार स्थल पर केरोसीन भूमिगत टैंक में प्राप्त कर डिस्पेंसिंग यूनिट से प्रदाय करते हैं। यह केरोसीन ड्रमों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने का प्रावधान है। इस परियोजना में 18 स्थानों पर आयल कंपनी के निजी थोक डीलर तथा 10 स्थानों पर म.प्र.स्टेट सिविल

सप्लाईज कार्पोरेशन थोक डीलर के रूप में कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा 18 निजी थोक डीलर के विकासखण्डों में आंशिक थोक विक्रेता (सेमी होल सेलर्स) के रूप में कार्य किया जा रहा हैं। इस योजना का विस्तार राज्य शासन द्वारा राज्य स्तर से बजट की व्यवस्था करके किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट 'बारह' में उल्लेखित है।

निरीक्षण रोस्टर

माह दिसम्बर, 2007 में सभी कलेक्टरों को निर्देश भेजकर उचित मूल्य की दुकानों एवं पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रेताओं की जांच के लिए जनवरी, 2008 से निरीक्षण रोस्टर तैयार कराया गया है। जिसमें कलेक्टर और उसके अधीनस्थ जिला प्रशासन के अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, सहकारिता एवं खाद्य विभाग के अमले को सम्मिलित किया गया है।

निगरानी समितियां

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता वस्तुओं के प्रदाय पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला स्तरीय निगरानी समिति का पुर्नगठन करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) को समिति का अध्यक्ष, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को सदस्य तथा जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी को सदस्य सचिव रखा गया हैं। इस समिति द्वारा प्रति सप्ताह बैठक आयोजित करने का प्रावधान है। विकासखण्ड स्तर पर 11 सदस्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली निगरानी समितियों के गठन की व्यवस्था है, जिसके अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सदस्य सचिव होते हैं। समिति द्वारा एक माह में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार बैठक बुलाई जा सकती है।

प्रत्येक उचित मूल्य दुकान स्तर पर भी निगरानी/सतर्कता समिति गठित है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समिति के अध्यक्ष सरपंच ग्राम पंचायत एवं संयोजक पंचायत सचिव होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में इस समिति के अध्यक्ष पार्षद होते हैं तथा संयोजक कोई शासकीय कर्मचारी को रखा गया है। समिति दुकान पर पहुंची हुई सामग्री का प्रमाणीकरण सुनिश्चित करती है साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि उचित मूल्य दुकान पर विहित विवरण प्रदर्शित किए जाते हैं, दुकानें निर्धारित दिन एवं समय पर खुलती हैं, दुकानदार द्वारा आबंटन के अनुसार सामग्री प्राप्त कर निर्धारित मात्रा में पात्र व्यक्तियों को प्रदाय की जाती है एवं अन्त्योदय अन्न योजना के खाद्यान्न एवं नीले केरोसीन की प्राप्ति एवं वितरण की समीक्षा, उपभोक्ताओं से समुचित व्यवहार किया जाता है।

जिला स्तर पर प्राप्त आबंटन व जिले में अनुविभाग/तहसीलवार पुनरावंटन की सूचना संबंधित क्षेत्र के समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय सांसद, विधायक तथा संबंधित संस्थाओं को भी आबंटन की प्रति दी जाती है।

सिटीजन चार्टर

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कृतसंकल्पित है कि नागरिकों के लिए उत्तरदायी और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध हो। विभाग द्वारा विगत वर्षो में विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर का प्रकाशन कर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। प्राप्त अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए इस सिटीजन चार्टर को और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए परिष्कृत किया गया है।

इसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

1. उचित मूल्य की दुकान से निर्धारित समय सीमा में स्टाक वितरण और राशन कार्ड पंजी की छायाप्रति प्राप्त करने का प्रावधान।

2. राशनकार्ड निर्धारित समय–सीमा (आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस) में जारी किया जाना।

3. उचित मूल्य की दुकान आबंटन के आवेदन निर्धारित समय–सीमा (आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस) में निराकृत किया जाना।

4. नाप तौल विभाग में उपकरणों के सत्यापन मुद्रांकन तथा अनुज्ञप्ति दिये जाने अथवा नवीनीकरण की समय–सीमायें निर्धारित की गई है।

सूचना का अधिकार

विभाग अन्तर्गत वर्ष 1997 से यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी नागरिक उचित मूल्य दुकानों में संधारित किए जाने वाले राशनकार्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं विक्रय रजिस्टर की प्रतिलिपि रूपये 2.00 प्रति पृष्ठ के मान से शुल्क जमा कराकर अधिकतम 3 माह पूर्व की जानकारी प्राप्त कर सकते है। जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा निर्धारित है। इसके लिए आवेदन पत्र निम्नांकित स्थानों पर दिये जा सकते हैंः–

क्रमांक	स्थान जहां पर आवेदन किया गया है	समय–सीमा
1	दुकान चलाने वाली सोसायटी	15 दिवस
2	जिले के सहकारी बैंक की शाखा	30 दिवस
3	शहर का सहकारी उपभोक्ता भंडार	07 कार्यकारी दिवस
4	जिला खाद्य कार्यालय	30 दिवस
5	खाद्य संचालनालय	15 दिवस

आवश्यक वस्तु अधिनियम का क्रियान्वयन

प्रदेश मे भारत सरकार के मुख्यतः निम्नांकित नियंत्रण आदेश/स्कीम प्रभावशील हैं :–

1. पी.डी.एस.(कन्ट्रोल) आर्डर 2001
2. केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन तथा अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993

3. एम.एस.एच.एस.डी.(प्रदाय तथा वितरण का नियमन और अनाचार निवारण) आदेश 1998
4. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण विनियमन) आदेश 2000
5. द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटर यानों में उपयोग का विनियमन) आदेश 2001
6. नाफ्था (अर्जन, विक्रय भण्डारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000
7. विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय भण्डारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000
8. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन भण्डारण, प्रदाय का रख–रखाव) आदेश 1999
9. दाल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश 1977
10. शक्कर नियंत्रण आदेश 1966
11. खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश 1998
12. स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987
13. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002

प्रदेश के वर्तमान में मुख्यतः निम्नांकित नियंत्रण आदेश/स्कीम प्रभावशील हैं :–

1. मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) वितरण नियंत्रण आदेश, 1960
2. मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति स्कीम, 1991
3. मध्यप्रदेश चावल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 1970
4. मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश, 1979
5. मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980
6. मध्यप्रदेश नमक नियंत्रण आदेश 1963
7. मध्यप्रदेश खाद्य पदार्थ (खान पान स्थापना द्वारा मूल्य प्रदर्शन) आदेश 1983

मध्यप्रदेश चावल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेश 1970 के अंतर्गत प्रदेश में मिलर द्वारा क्रय धान से उत्पादित चावल का एक निश्चित प्रतिशत राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को स्वेच्छा से निर्धारित मूल्य पर लेव्ही दे सकता है। चावल मिलर्स द्वारा निर्धारित मात्रा में कस्टम मिलिंग के उपरांत ही स्वैच्छिक लेव्ही की पात्रता होती है।

गेहूं, चावल, धान, एवं मोटे अनाज के साथ खाद्य तेल एवं तिलहनों के संव्यवहार पर कोई नियंत्रण आदेश लागू नही है तथा आवा–जाही पर भी कोई विभागीय प्रतिबंध नही है।

<u>आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय कार्रवाई</u>

वर्ष 2007–08 में राज्य स्तर से जांच दल द्वारा 16 डीजल/पेट्रोल पम्पों पर आकस्मिक जांच की गई जिसमें मेसर्स करूणा ट्रेडिंग कंपनी, मुबारकपुर, जिला भोपाल में डीजल के नमूनों में मिलावट पाए जाने के कारण अभियोजन की कार्रवाई एवं अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु कार्रवाई प्रचलित हैं। इन 16 जांच के दौरान 9 हजार 2 सौ 58 लीटर पेट्रोल तथा 40 हजार 5 सौ 76 लीटर डीजल जप्त किया गया।

चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई

वर्ष 2007–08 में ग्राम कासदा, थाना केसला, जिला होशंगाबाद में श्री राजेश मालवीय, श्री ब्रजेश मालवीय एवं विनोद राठौर द्वारा संचालित नकली डीजल–पेट्रोल बनाने एवं अवैध पेट्रोल, डीजल एवं केरोसीन का संग्रहण एवं विक्रय करने बाबत् प्रकरण तैयार किया गया जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नीले केरोसीन का दुरूपयोग बार–बार कर व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे। अतः प्रकरण में चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय रखना आदेश, 1980 की धारा (3) के तहत उक्त तीनों आरोपियों को निरूध्द करने की कार्रवाई शासन द्वारा की गई।

मूल्य निगरानी एवं समीक्षा

दैनिक उपयोग की महत्वपूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी के लिए दो बड़े नगरों भोपाल से दैनिक एवं इंदौर से साप्ताहिक आवश्यक वस्तुओं की भाव की जानकारी प्राप्त की जाती है इसकी समीक्षा करते हुए जानकारी केन्द्र शासन को भी भेजी जाती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने एवं अन्य विभागीय गतिविधियों का क्रियान्वयन बेहतर ढ़ंग से कराने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर प्रति सप्ताह वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम जिलों के कार्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदित होने वाली कठिनाईयों का निराकरण एवं आवश्यक निर्देश दिए जाते है।

समर्थन मूल्य पर उपार्जन

किसानों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडारण के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, मोटे अनाज की खरीदी की जाती है।

इस वर्ष प्रदेश में गेहूं की खरीदी भारतीय खाद्य निगम एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से की गई है।

इस खरीफ वर्ष में समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदेश में जबलपुर संभाग के समस्त जिले म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा रीवा संभाग के समस्त जिले तथा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश के शेष जिलों में धान उपार्जन का कार्य किया गया है। खरीदी गई धान की मिलिंग कराकर उससे निर्मित चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में संग्रहित किया जाता है। इसके बदले में इन एजेन्सियों को भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित इन्सिडेंटल एवं मिलिंग व्यय प्राप्त होते हैं। उपार्जन में लगी राज्य सरकार की एजेंसियों को भारतीय खाद्य निगम से वास्तविक व्ययों की पूरी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है जिसके कारण उन्हें इस कार्य में काफी हानि होती है। राज्य सरकार इस हानि को अपने बजट प्रावधान के द्वारा प्रतिपूर्ति करती है। अवर्षा से प्रभावित क्षेत्रों

के कृषकों को उनकी उपज का लाभ दिलाने की दृष्टि से भारत शासन से समर्थन मूल्य पर बाजरा एवं धान के उपार्जन हेतु गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों से छूट प्राप्त की गई है। मोटे अनाज की खरीदी स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा की गई है।

केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2007–2008 में खाद्यान्नों के निम्नानुसार समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं :–

(रू.प्रति क्विंटल)

क्रमांक	खाद्यान्न	केन्द्र शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य
1	गेहूं	750 (बोनस 100 रूपए)= 850
2	धान (कॉमन)	645
3	धान (ग्रेड 'ए')	675
4	बाजरा एवं ज्वार	600
5	मक्का	620

वर्ष 2007–08 के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु धान में रू. 100/– एवं गेहूं में रू. 100/– प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया गया। विगत वर्षो की तुलनात्मक समर्थन मूल्य की स्थिति परिशिष्ट 'तेरह' में उल्लेखित है।

(22.02.2008 तक की स्थिति)

क्रमांक	खाद्यान्न का नाम	समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मात्रा (मे.टन)
1	गेहूं	57,447
2	धान	1,00,133

वर्ष 1999–2000 से राज्य में गेहूं के विकेन्द्रीकृत उपार्जन की योजना लागू की गई है। विकेन्द्रीकृत उपार्जन की योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन के माध्यम से उपार्जित गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय किया जाता है। इससे जहां दोहरे हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यय में बचत होकर व्यय में उल्लेखनीय कमी आई है, दूसरी ओर प्रदेश में ही उपार्जित गेहूं उचित मूल्य की दुकानों को मिलने से उपभोक्ताओं को भी गुणवत्ता का लाभ मिला है। इस वर्ष धान का भी विकेन्द्रीकृत उपार्जन किया जा रहा है।

विगत वर्षो की समर्थन मूल्य के अंतर्गत गेहूं एवं चावल की खरीदी की वर्षवार तुलनात्मक जानकारी परिशिष्ट 'चौदह' मे दी गई है।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ताओं को शोषण के विरूद्ध न्याय प्राप्त करने के लिये उपभोक्ता शिकायतों का कम खर्चीले, त्वरित तथा सुलभ तरीके से निराकरण करने के लिये वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया तथा आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन किया जाता रहा है। इसमें तीन स्तरीय व्यवस्था है (1) राष्ट्रीय आयोग (2) राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (3) जिला उपभोक्ता फोरम।

राज्य शासन का प्रयास है कि शासन द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने की सुविधा को जनसामान्य तक पहुंचायें। इस मंशा से प्रदेश में एक राज्य स्तरीय उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना खाद्य संचालनालय में की गई जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करना है तथा जिलों में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता पर स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिये उपभोक्ता जागरण शिविर आयोजित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण निधि से विभाग को 60 लाख रूपए प्राप्त हुए थे जिससे जिलों में विभिन्न आयोजन किए गए। प्रचार प्रसार हेतु बैनर पोस्टर छपवाकर महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर लगवाए गए है।

उपभोक्ता संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देदश्य से प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस का राज्य स्तर एवं जिला मुख्यालयों पर आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभागों एवं आयामो द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाती है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रूपये 15,000/- 10,000/-तथा 5,000/- के दिये जाते हैं। वर्ष 2007 में यह पुरस्कार क्रमशः अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जबलपुर, कु. ममता सिंह कुशवाह, ग्वालियर एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता संरक्षण संगठन बैतूल को प्रदान किया गया था। इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण पर राज्य स्तरीय पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को क्रमशः रू. 3,000, 2,000, 1,000 के तीन पुरस्कार प्रदान किये जाते है। वर्ष 2007 में पोस्टर हेतु यह पुरस्कार क्रमशः कु. रजनी कुशवाह, शा. उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुना, श्री गौरव गुप्ता, शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल एवं कु. पिंकी हलधर, शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीधी तथा निबंध हेतु क्रमशः श्री ऋषभ बिसेन, जवाहर नवोदय विद्यालय, सिवनी, कु. अनुराधा जायसवाल, उत्कृष्ट विद्यालय, सीधी एवं कु. निशी आजमानी, सेंट जोजफ कान्वेंट, खण्डवा को प्रदान किया गया था। संभाग स्तर पर भी उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 3,000, 2,000 तथा 1,000 का दिया गया है।

प्रदेश में कार्यरत जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी को जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी भी घोषित किया गया है। इनके द्वारा पीड़ित उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के शोषण की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी ओर से वाद भी दायर किया जाता है।

आयोडीनयुक्त नमक का वितरण

प्रदेश के 19 जिलों में 89 आदिवासी विकासखण्डों में आयोडीनयुक्त नमक का वितरण का कार्य जनवरी, 2007 से म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को 1

किलो नमक प्रतिमाह रूपए 1 प्रतिकिलो की दर से वितरित किया जा रहा है। इस हेतु सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत दी जा रही है। वर्ष 2007–08 में राशि रू. 5 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है। इस नमक का प्रतिमाह 2677 मे.टन का आबंटन दिया जाता है।

संसदीय कार्य

वर्ष 2007 में विधान सभा प्रश्न–151, (तारांकित–91, अतारांकित 60) ध्यानाकर्षण सूचना–12, स्थगन सूचना–5 कुल 168 प्राप्त हुए, जिनके उत्तर तैयार कर भेजे गये।

न्यायालयीन प्रकरण

माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के प्रदेश में विभाग से संबंधित माह दिसंबर 2007 तक प्राप्त प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्रं.	न्यायालय का नाम	कुल प्रकरण	जवाबदावा प्रस्तुत	निर्णय पारित	कुल प्रचलित प्रकरण
1	2	3	4	5	6
1.	सर्वोच्च न्यायालय	04	01	–	04
2.	उच्च न्यायालय	610	203	127	483
	योग	614	204	127	487

मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका क्रमांक 196/2001 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज विरूद्ध भारत शासन व अन्य में समय समय पर निर्णय पारित किये जाते हैं तथा याचिका क्रमांक 3249, 3250/2002 नागरिक उपभोक्ता मंच विरूद्ध भारत शासन (केरोसीन राउण्ड आफ राशि) में दिनांक 20.04.2004 को निर्णय पारित किया गया है।

महिला नीति

महिला नीति 2003–07 में विभाग से सीधे संबंधित कोई बिन्दु नहीं हैं। महिला नीति के अंतर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्र0 एफ 7–34/2002/29–1 दिनांक 19.01.2004 अनुसार संयुक्त संचालक, खाद्य को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए उचित मूल्य दुकान स्तर पर विभाग के पत्र क्रमांक 7–11/104/29–1 दिनांक 26.02.2004 द्वारा स्व–सहायता समूह की महिला अध्यक्ष का सदस्य के रूप में समावेश किया गया है।

महिला नीति के अंतर्गत प्रदेश में संचालित पेट्रोल/डीजल पम्पों के समीपस्थ प्राथमिक सुविधाओं का लाभ दिये जाने के लिए महिला प्रसाधन निर्मित किये जाने के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है।

नापतौल (विधिक माप विज्ञान) स्थापना :

नापतौल स्थापना के नीतिगत दायित्व निम्नवत् हैं :–

1. नाप तौल से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का परिपालन ।

2. व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा मानव सुरक्षा में उपयोग में आने वाले उपकरणों की विशुद्धता (accuracy) बनाए रखना।

3. नापतौल उपकरणों का सत्यापन/मुद्रांकन हेतु शिविरों का आयोजन।

4. व्यावसायिक संस्थानों की जांच एवं त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध नियमों के तहत कार्यवाही।

5. नापतौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां प्रदाय करना ।

6. नापतौल उपकरणों की संवेदनशील प्रयोगशालाओं का संधारण।

7. उपभोक्ताओं को नापतौल में संभावित शोषण से रक्षण।

विभागाध्यक्ष स्तर पर मुख्यालय भोपाल में नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक एवं दाशमिक अधिकारी पदस्थ हैं, 13 जिला स्तर पर उप/सहायक नियंत्रक एवं 65 जिला/तहसील स्तर पर निरीक्षक नापतौल के कार्यालय हैं ।

स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नवत् है :–

(दिनांक 31.12.2007 की स्थिति में)

कमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	नियंत्रक	1	1
2	संयुक्त नियंत्रक	1	1
3	उप नियंत्रक (जिला स्तर)	4	3
4	सहायक नियंत्रक (जिला स्तर)	9	8
5	दाशमिक अधिकारी	1	0
6	निरीक्षक	109	80
7	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	190	134
8	चतुर्थ श्रेणी	200	103
9	वाहन चालक	5	5

पदक्रम सूची की स्थिति

दिनांक 01.04.2007 की स्थिति में निम्नानुसार पदक्रम सूची (राज्य स्तरीय) जारी की गईः–

(1) राजपत्रित अधिकारी
(2) तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)
(3) तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)
(4) चतुर्थ श्रेणी
(5) वाहन चालक
(6) विभागीय जांच– वर्ष 2007–08 में केवल 2 विभागीय जांच लंबित हैं, जो शासन स्तर पर विचाराधीन हैं।
(7) विभागीय पदोन्नति– अधीक्षक के पद पर 2 पदोन्नति, सहायक ग्रेड–1 के पद पर 6 पदोन्नति, सहायक ग्रेड–2 के पद पर 13 पदोन्नति की गई।
(8) स्थानांतरण– वर्ष 2007–08 अवधि के दौरान निम्नानुसार स्थानांतरण हुएः–

उप नियंत्रक	1
सहायक नियंत्रक	2
निरीक्षक	22
सहायक ग्रेड–3	33

विभाग का मुख्य कार्य व्यापारियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग हो रहे नाप तौल उपकरणों का सत्यापन, पुनःसत्यापन एवं मुद्रांकन करना है। व्यवसायियों को अपने बांट माप उपकरणों को अधिक दूर न ले जाना पड़े, इस हेतु प्रदेश में पुनः सत्यापन/मुद्रांकन शिविरों का आयोजन किया जाता है। निरीक्षक नाप तौल इन शिविरों के आयोजन तथा पुनः सत्यापन हेतु पूर्णतः जिम्मेदार है।

प्रत्येक निरीक्षक कार्यालय में आउटडोर तथा इनडोर वर्किंग स्टैण्डर्ड लैबोरेटरी (प्रयोगशालाएं) स्थापित है। निरीक्षकों द्वारा आउटडोर वर्किंग स्टेण्डर्डस (कार्यकारी मानक) द्वारा सुदूर ग्रामीण अंचलों में आयोजित शिविरों में व्यापारियों के नाप तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य किया जाता है।

बड़े जिला मुख्यालयों पर उप/सहायक नियंत्रकों के कार्यालय में उच्च क्षमतायुक्त सेकेण्डरी स्टेण्डर्ड से सुसज्जित 13 लेबोरेटरीज (प्रयोगशालाऐं) स्थापित हैं, जहां पर निरीक्षक कार्यालयों के उपर्युक्त वर्किंग (कार्यकारी) स्टेण्डर्डस का सत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य किया जाता है।

48 जिला मुख्यालयों एवं 16 तहसील मुख्यालयों में कुल 65 वर्किंग स्टेण्डर्डस (कार्यकारी मानक) लेबोरेटरीज (प्रयोगशालाऐं) यांत्रिक उपकरणों से सुसज्जित है जिनमें से वर्ष 2004–05 में 2 को एवं वर्ष 2005–06 में 13 प्रयोगशालाओं को इलेक्ट्रानिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

राजस्व आय

बांट और माप उपकरणों के सत्यापन, पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन किए जाने पर शासन को शुल्क के रूप में राजस्व आय की प्राप्ति होती है, इसके अलावा उपर्युक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अपराध प्रकरणों से राजीनामा शुल्क एवं अन्य विविध कार्यों से शुल्क प्राप्त किया जाता है, जिसकी उपलब्धि वर्षवार अधोलिखित है :–

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आय
2002–2003	4.21
2003–2004	4.61
2004–2005	4.83
2005–2006	5.29
2006–2007	4.14
2007–2008 (दिसंबर 2007 तक)	3.32

अपराधों का पंजीयन

व्यवसायियों द्वारा त्रुटिपूर्ण बांट एवं माप उपकरणों के प्रयोग से, आम उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाए जाने के दृष्टिकोण से विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण एवं आकस्मिक रूप से छापे मारकर, इन संस्थानों की बाजार में स्थापित दुकानों, पेट्रोल पम्पों, रसोई गैस संस्थानों की जांच की जाती है। दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायियों के विरूद्ध नाप तौल विधि एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाती है।

वित्तीय वर्ष	दर्ज अपराध प्रकरणों की संख्या
2002–2003	5721
2003–2004	6655
2004–2005	9618
2005–2006	10117
2006–2007	
2007–2008 (दिसंबर 2007 तक)	8598

अनुज्ञप्तियां

नाप तौल उपकरणों के निर्माण, विक्रय अथवा सुधार कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को नियमानुसार आवेदन करना जॉच एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त कर अनुज्ञप्ति प्रदाय करना होती है।

बिना वैध अनुज्ञप्ति के नाप तौल उपकरणों का निर्माण, विक्रय एवं सुधार करना अवैधानिक है। अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना, अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित है। विभाग द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या अधोलिखित अनुसार है :–

1. निर्माता अनुज्ञप्ति	029
2. विक्रेता अनुज्ञप्ति	681
3. सुधारक अनुज्ञप्ति	490

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

प्राप्त सभी न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त है तथा 2 प्रकरणों को छोड़कर सभी प्रकरणों में जवाबदावे प्रस्तुत किए जा चुके है। न्यायालयीन प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय	03 (प्रवर्तन संबंधी)
2. माननीय उच्च न्यायालय	21 (स्थापना संबंधी
	13 (प्रवर्तन संबंधी)

संसदीय कार्यः–

वर्ष 2007 में विधान सभा एवं राज्य सभा से प्राप्त प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजी गई। विवरण निम्नानुसार है–

विधानसभा प्रश्न–	तारांकित	19
	अतारांकित	31
	ध्यानाकर्षण सूचना	00
	अशासकीय संकल्प	00

नाप–तौल विभाग एक रेगुलेटरी विभाग है । विभाग उपभोक्ताओं को सही मात्रा में वस्तु का प्रदाय सुनिश्चित् करता है एवं भारत शासन तथा राज्य शासन के अधिनियम एवं नियम के प्रवर्तन का कार्य करता है। विभाग का मुख्य दायित्व उपभोक्ताओं को सही मात्रा में वस्तु प्राप्त हो यह सुनिश्चित करना है। इस हेतु विभाग अपने अमले से नियमित एवं आकस्मिक रूप से बाजारों एवं व्यवसायियों की जांच कराता है इसके साथ ही साथ नाप–तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य एवं पैक बन्द वस्तुओं की जांच का कार्य भी विभाग द्वारा ही किया जाता है।

वर्ष 2007–08 में माह दिसंबर तक की उपलब्धियॉ इस प्रकार है :–

1. व्यापारियों का पंजीयन :–

बांट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत 01.01.2008 से व्यापारियों का नाप–तौल उपकरणों के उपयोगकर्ता के रूप में पंजीयन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं निरीक्षकों को निर्देश दिये गये है कि पुनःसत्यापन कार्य से पूर्व व्यापारियों का पंजीयन करने के पश्चात् ही पुनःसत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य करें। तद्नुसार निरीक्षकों द्वारा कार्यवाही 01.01.2008 से अमल में लाई गई है।

2. चलित प्रयोगशाला की स्थापना :–

वित्तीय वर्ष 2007–08 मे चलित प्रयोगशालाओं हेतु 5 वाहन तथा उसमें आधुनिक इलेक्ट्रानिक कार्यकारी मानक तुलाएं/उपकरणों की पूर्ति की जाना है। वित्तीय वर्ष 2008–09 मे चलित प्रयोगशालाओं हेतु 5 वाहन तथा उसमें आधुनिक इलेक्ट्रानिक कार्यकारी मानक तुलाएं/उपकरणों की पूर्ति की जाना है।

3. इंदौर में जर्मन सरकार के सहयोग से प्रयोगशाला को पूर्ण करना :–

इंदौर में द्वितीयक मानक एवं कार्यकारी प्रयोगशाला भवन निर्माण, इण्डो–जर्मन सहयोग से प्रारंभ किया गया। यह प्रयोगशाला पॉयलेट प्रयोगशाला होगी, जिसकी अनुमानित लागत रूपये 1 करोड़ 5 लाख है, जिसमें भारत सरकार द्वारा रूपये 65.30 लाख अनुदान दिया गया हैं; शेष राशि की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

4. पेट्रोल/डीजल पम्प का विशेष जांच अभियान :–

वर्ष 2007–08 के माह जुलाई में पेट्रोल/डीजल पम्प का विशेष जांच अभियान चलाया गया जिसमें त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध 146 प्रकरण दर्ज किये गये इसके अलावा 25 पेट्रोल पम्प कम प्रदायगी के पाये जाने पर उनके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही कर प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

5. कृषि उपज मण्डियों की जांच :–

इसी प्रकार माह सितंबर –2007 में 229 कृषि उपज मण्डियों में उपयोग में लाए जा रहे उपकरणों की जांच करवाई गई एवं 67 प्रकरण दर्ज किये गये।

6. धर्म कांटों की जांच :–

माह अक्टुबर –2007 में प्रदेश स्तर पर स्थापित धर्म कांटों की भी शत्–प्रतिशत् जांच करवाई गई। इसमें त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध 12 प्रकरण दर्ज किये गये।

7. माह जनवरी, 2008 तक तुलनात्मक स्थिति :–

आय एवं अभियोजन की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है :–

स.क्र.	विवरण	2006–07	2007–08
1.	आय	2.17 करोड़	3.93 करोड़ (विगत वर्ष से 1.76 करोड़ अधिक)
2.	अभियोजन	7934	9698

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

उपभोक्ता के शोषण को समाप्त करने व उपभोक्ताओं की वाजिब शिकायतों को कम खर्चीले, त्वरित, सरल तथा सुलभ तरीके से निराकरण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तर पर दिनांक 01.01.1990 को भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का गठन किया गया है जिसने दिनांक 01.09.1990 से कार्य करना प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य मे समस्त 48 जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम गठित किए गए हैं जिनमें से 23 जिलों में पूर्णकालिक एवं शेष 25 जिलों में अंशकालिक रूप से जिला फोरम कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य उपभोक्ता आयोग की एक अतिरिक्त पीठ का गठन किया गया है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के कैम्प कोर्ट, जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर में स्थापित किया गया है। ऐसी शिकायतें जिनका मूल्य रू. 20.00 लाख तक होता है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। यदि शिकायत रूपये 20.00 लाख से रूपये 1.00 करोड़ तक के मूल्य की होती है तो ऐसी शिकायतों को राज्य आयोग के समक्ष उपभोक्ता कर सकता है। यदि कोई पक्षकार जिला फोरम के निर्णय/आदेश से असंतुष्ट होता है तो वह ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर राज्य आयोग में अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में राज्य आयोग तथा जिला उपभोक्ता फोरम सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों का भलीभांति निराकरण इनके द्वारा किया जा रहा है।

राज्य आयोग एवं जिला फोरम हेतु निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं :–

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

कमांक	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या
1	अध्यक्ष	1
2	सदस्य	2
3	रजिस्ट्रार	1
4	प्रशासनिक अधिकारी	1
5	निज सचिव	1
6	अकाउण्टेन्ट	1
7	क्लर्क ऑफ कोर्ट	1
8	स्टेनोग्राफर	4
9	लायब्रेरियन	1
10	असिस्टेंट	2
11	स्टेनो टाइपिस्ट	1
12	रीडर	2
13	नाजिर कम रिकार्ड कीपर	1
14	आफिस मोहर्रिर कम डिस्पेचर	1
15	निम्न श्रेणी लिपिक	4
16	फाईलिंग क्लर्क	1
17	वाहन चालक	2
18	प्रोसेस सर्वर	1
19	भृत्य	9
20	फाईलिंग भृत्य	1
21	फर्राश	1
योग		39

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम

कमांक	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या
1	अध्यक्ष	24
2	सदस्य	90
3	क्लर्क ऑफ कोर्ट	20
4	स्टेनोग्राफर	24
5	स्टेनो टाइपिस्ट	28
6	रीडर	24
7	नाजिर कम रिकार्ड कीपर	14
8	उच्च श्रेणी लिपिक लेखा का ज्ञान रखने वाला	20
9	आफिस मोहर्रिर कम डिस्पेचर	14
10	निम्न श्रेणी लिपिक	37
11	वाहन चालक	21
12	प्रोसेस सर्वर	19
13	भृत्य	76
14	फर्राश	24
	योग	435

वर्तमान में इन्दौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सागर, होशंगाबाद, मुरैना, गुना, मंदसौर, सिवनी, धार, सतना, खण्डवा, शिवपुरी, भिण्ड, छिन्दवाड़ा, विदिशा, रतलाम, कटनी, दमोह तथा छतरपुर जिले में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कार्यरत हैं तथा सीधी, राजगढ़, शाजापुर, मण्डला, मण्डलेश्वर (खरगौन), देवास, सीहोर, बैतूल, बड़वानी, बालाघाट, शहडोल, पन्ना, झाबुआ, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, दतिया, रायसेन, उमरिया, डिण्डोरी, हरदा, नीमच, श्योपुरकला एवं राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 09.10.2007 के द्वारा प्रदेश में तीन नवगठित जिले क्रमशः अशोकनगर, अनूपपुर तथा बुरहानपुर में जिला फोरम का गठन किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 25 जिलों में अंशकालिक उपभोक्ता फोरम कार्यरत हैं, जो पूर्णकालिक जिला फोरम से संबद्ध किये गये हैं। इस प्रकार प्रदेश के 48 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम कार्यरत हैं। (परिशिष्ट 'पन्द्रह')

केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदत्त रूपये 5.00+1.05 करोड़ की एक मुश्त वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य आयोग एवं जिला फोरमों को आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराई गई थी। राज्य आयोग तथा 39 जिला उपभोक्ता फोरम भोपाल, धार, गुना, सिवनी, छिन्दवाड़ा, सतना, मुरैना, होशंगाबाद, खण्डवा, दमोह, भिण्ड, रीवा, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंदसौर, छतरपुर, दतिया, मण्डला, पन्ना, रतलाम, सागर, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, ग्वालियर, देवास, इंदौर, मण्डलेश्वर, राजगढ़, बैतूल झाबुआ, सीहोर, श्योपुरकला, विदिशा, बड़वानी, नीमच तथा कटनी के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और नवीन भवनों में कार्य आरंभ हो चुका है अन्य 3 जिला फोरम हरदा, रायसेन, डिण्डोंरी, के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनके शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है। जिला फोरम उमरिया, अशोकनगर तथा उज्जैन में भूमि का आबंटन हो चुका है, भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है।

इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट के तहत वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य आयोग व जिला फोरम्स् के भवनों के लिए विस्तार अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा रूपये 449.52 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिससे राज्य आयोग एवं जिला फोरम्स् के भवनों के विस्तार का कार्य किया गया है और इन कार्यालयों की अधोसंरचना उपलब्ध कराई गई है। भवनों के विस्तार के लिए द्वितीय किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा रूपये 1,57,52,000 की राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 3 नवगठित जिला फोरम अशोकनगर, अनूपपुर तथा बुरहानपुर के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु भी वित्तीय सहायता रूपये 63.00 लाख भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

कन्फोनेट प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा लगभग रूपये 85.00 लाख का प्रतिवर्ष व्यय किया जाकर तीन चरणों में राज्य आयोग एवं जिला फोरमों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु लगभग रूपये 2.55 करोड़ का व्यय किया जाकर प्रदेश के समस्त जिला उपभोक्ता फोरम्स् को कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनमें से राज्य आयोग एवं 20 जिला फोरम्स् में कम्प्यूटर उपकरण स्थापित किये जा चुके हैं और प्रकरणों का इन्द्राज कम्प्यूटर में किये जाने का कार्य प्रारंभ कर

दिया गया है और उन्हें राज्य आयोग से इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तृतीय चरण में शेष जिला फोरम्स् में कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदाय आदेश जारी किया जा चुका है तदनुसार कम्प्यूटर उपकरण जिला फोरम्स् कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं।

राज्य आयोग द्वारा प्रतिमाह विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिला फोरम से संपर्क कर समस्याओं का तत्काल निदान किया जाकर कार्य की प्रगति के बारे में भी मानीटरिंग की जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी म.प्र.राज्य आयोग की कार्य पद्धति की प्रशंसा करते हुए सभी राज्यों को अनुसरण करने हेतु निर्देश दिये हैं।

राज्य आयोग एवं जिला फोरम में विगत एक वर्ष में प्राप्त, निराकृत प्रकरणों का विवरणः—

कार्यालय	दिसंबर 2006 तक लंबित प्रकरण	1.1.2007 से 31.12. 2007 की अवधि में संस्थित प्रकरण	1.1.2007 से 31.12. 2007 की अवधि में निराकृत प्रकरण	31.12. 2007 की स्थिति में लंबित प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत	निराकरण का राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
म.प्र.राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग	2368	3101	2706	2763	87.26	72.31
समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम	6912	12008	10398	8522	86.59	90.33

विभाग का बजट

विभाग का बजट मुख्यतः आयोजनेत्तर है। केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से विशेष कार्यों के लिए प्राप्त राशियां आयोजना मद में स्वीकृत होती है।

वर्ष 2007–2008 के लिए आयोजनेत्तर/आयोजना बजट में निम्नानुसार राशि स्वीकृत है :–

(राशि हजार रूपयों में)

मांग संख्या – 39		आयोजनेत्तर	आयोजना
1.खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण			
	मतदेय	13,51,930	2,18,00
	भारित	1,00	0
2.मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग			
	मतदेय	5,77,36	37,50
3.नापतौल			
	मतदेय	4,29,31	
	भारित	0,50	
योग मांग संख्या– 39	मतदेय	1,45,25,97	2,55,50
	भारित	1,50	–

वर्ष 2007–2008 के लिए आयोजनेत्तर/आयोजना मद से संबंधित बजट प्रावधान/व्यय की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार हैः–

(राशि रूपयों में)

क्र.		विवरण		बजट प्रावधान	व्यय (दिनांक 01.04.2007 से 31.12.2007 तक)
		आयोजनेत्तर मद			
		एक राजस्व अनुभाग			
		मांग संख्या–39–शीर्ष–2408–खाद्य भंडारण और भंडागारण–01–खाद्य			
1.		001–निर्देशन और प्रशासन			
	1.	1471–जिला कार्यालय	मतदेय	10,42,60,000	4,05,05,675
			भारित	1,00,000	0
	2.	3537–मुख्य कार्यालय, खाद्य संचालनालय	मतदेय	1,28,02,000	92,36,700
	3.	6387–पुरस्कार योजना–51–अन्य प्रभार		3,66,000	0
	4.	629–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ		5,77,36,000	37,000,402
	5.	6878–उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना		1000	0
		योग	मतदेय	17,51,65,000	8,67,42,777
			भारित	1,00,000	0
2.		102–खाद्य सहायता			
	1.	570–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से हानि की प्रतिपूर्ति		20,00,00,000	0
	2.	3229–मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न में हुई हानि की प्रतिपूर्ति		25,00,00,000	0
	3.	3248–मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति		8,00,00,000	0
	4.	5245–समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसानों को बोनस		1,000	0
	5.	6645 अन्त्योदय योजना		50,00,00,000	31,64,92,370
		योग		1,03,00,01,000	31,64,92,370
3.		190–सहकारी क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			

क.		विवरण	बजट प्रावधान	व्यय (दिनांक 01.04.2007 से 31.12.2007 तक)
	1.	7442–गोदाम किराया की प्रतिपूर्ति	5,00,000	4,11,700
		योग–2408–राजस्व अनुभाग मतदेय भारित	1,20,56,66,000 1,00,000	40,36,46,847 0
		दो–पूंजी अनुभाग		
4.		शीर्ष–4408– खाद्य भण्डारण और भण्डागार पर पूंजी परिव्यय		
		(02)–खाद्य भण्डारण और भण्डागार		
	1.	173–अन्न का क्रय (पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण)	20,40,00,000	19,75,20,588
		योग (पूंजी अनुभाग)	20,40,00,000	19,75,20,588
		नापतौल विभाग		
1.		शीर्ष 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं –106 तौल और माप का विनिमय		
	1.	6112–मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय मतदेय भारित	4,29,31,000 50,000	3,09,72,000 0
	2.	6113–संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण (नाप–तौल)	0	0
		योग मतदेय भारित	4,29,31,000 50,000	3,09,72,000 0
		कुल योग मांग संख्या–39 (आयोजनेत्तर) मतदेय भारित	1,45,25,97,000 1,50,000	63,21,39,435 0

		आयोजना मद		
		एक–राजस्व अनुभाग		
1.		मांग संख्या 39–शीर्ष 2408–खाद्य भण्डारण और भण्डागार–01–खाद्य 0101 राज्य आयोजना सामान्य		
	1.	6242– सहकारी समितियों को मिट्टी तेल का संग्रहण हेतु टंकी निर्माण	2,18,00,000	2,18,00,000
	2.	आदिवासी उप योजना 6242–सहकारी समितियों को मिट्टी तेल का संग्रहण हेतु टंकी निर्माण	67,00,000	67,00,000
	5	विशेष घटक क्षेत्रों में 6242–सहकारी समितियों को मिट्टी तेल का संग्रहण हेतु टंकी निर्माण	55,00,000	55,00,000
		0801–केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य		0
	7	1590– विकेन्द्रीकत उपार्जन योजना	1,000	0
	8	9214–102 आयोडीन युक्त नमक का वितरण	5,00,00,000	0
		योग– शीर्ष 2408	8,40,01,000	3,40,00,000
		आयोजना–		
		एक–राजस्व अनुभाग		
2.		शीर्ष 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–0101–राज्य आयोजना सामान्य		
	1.	6113–संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण (नापतौल)	37,50,000	0
		योग– शीर्ष 3475	37,50,000	0
		योग–राज्य आयोजना	8,77,51,000	3,40,00,000

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1. ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. योजना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. योजना में खाद्यान्न के प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। यह कार्य प्रदेश के 48 जिलों में 186 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। योजनांतर्गत खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम से कार्पोरेशन के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से परिवहन किया जाकर प्रदेश में संचालित राज्य/केन्द्रीय/विपणन संघ के गोदामों में संग्रहित कराया जाता है जहां से लीड सहकारी संस्थायें एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानदार खाद्यान्न एवं शक्कर का उठाव कार्य करते हैं।

2 शक्कर वितरण

भारत सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन के अनुरूप राज्य शासन के निर्देशानुसार महाराष्ट्र स्थित शक्कर मिलों से शक्कर बुलवाई जाकर वितरण केन्द्रों में शक्कर का भण्डारण किया जाता है। प्रदाय केन्द्रों से निर्धारित दर पर लीड एवं लिंक समितियों को कार्पोरेशन की एक्स गोदाम दर पर शक्कर प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। हितग्राहियों को उपभोक्ता दर रूपये 13.50 प्रति किलो की दर से शक्कर वितरित की जाती है।

3. अन्त्योदय अन्न योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अति गरीब उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड रूपये 2/- प्रति किलो की दर से गेहूं एवं रूपये 3/- प्रति किलोग्राम के मान से चावल के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इस योजना के तहत प्रति राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है।

4. मध्यान्ह भोजन योजना

प्राथमिक शालाओं के छात्रों को दोपहर के भोजन के रूप में गर्म भोजन प्रदाय की व्यवस्था शासन द्वारा सुनिश्चित कराई जा रही है। स्कूली छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है। वर्ष भर में प्रदत्त आबंटन का 1/10 भाग प्रतिमाह के मान से प्रदाय किया जाता है। इस योजना के तहत सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव किया जाकर प्रदाय केन्द्रों तक पहुंचाया जाता है जहां से लीड सहकारी संस्थाऐं उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न परिवहन कर पहुंचाती है।

उचित मूल्य दुकानों से पालक शिक्षक संघ द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया जाता है। योजनांतर्गत कार्य के संपादन एवं परिवहन मार्जिन्स की राशि के क्लेम के लिए सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार द्वारा माह अक्टूबर 2007 से प्रदेश के माध्यमिक शालाओं के छात्रों के लिए भी दोपहर के भोजन के रूप में गर्म भोजन प्रदाय की व्यवस्था लागू की गई है। योजनांतर्गत भारत सरकार के द्वारा मार्च 2008 तक के लिए आबंटन प्रदत्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आबंटन के विरूद्ध खाद्यान्न के उठाव एवं प्रदाय की व्यवस्था सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा सुनिश्चित कराई जा रही है।

5. कल्याणकारी योजना

कल्याणकारी योजना के अंतर्गत निराश्रित व्यक्तियों की संस्थाओं, शासकीय अथवा शासकीय सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों, मदरसों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतन, अनाथ आश्रमों तथा इसी प्रकार की अन्य कल्याणकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाये जाने वाली संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है। इस योजना के तहत 15 किलोग्राम प्रति हितग्राही बी.पी.एल. दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

6. पोषण आहार कार्यक्रम

गेहूं आधारित पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003–04 से कार्य प्रारंभ किया गया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों से गेहूं प्राप्त कर दलिया बनाकर स्वसहायता समूहों के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रदाय करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है। वर्ष 2006–07 से महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी आबंटन अनुसार कार्पोरेशन एवं प्रायवेट फर्मो के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव करवाकर वितरण व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वसहायता समूहों को बीपीएल दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है।

7. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यो में मजदूरी के एक अंश के रूप में खाद्यान्न की व्यवस्था के तहत भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाकर कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक खाद्यान्न परिवहन कर उपलब्ध कराया जाता है।

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल

एम.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की स्थापना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेव्हलपमेंट एण्ड वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत फरवरी 1958 में हुई। इसकी गतिविधियां एम.पी. एग्रीकल्चरल वेयर हाउस एक्ट 1947 के तहत संचालित होती है। निगम के राज्य शासन एवं केन्द्रीय भंडारण निगम 50–50 प्रतिशत अंशधारी है।

मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 12–1/2001/29–2(1), मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 58(4) सहपठित वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट–1962 की धारा–18(1) और धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों के तहत और केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी) की सहमति से, राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च 2003 से मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन का गठन किया गया है। निगम की वर्तमान में 234 शाखाओं पर 11.87 लाख मे.टन औसत क्षमता माह नवंबर 2007 तक की स्थिति में कार्यशील है। निगम का प्रमुख उद्देश्य कृषको/जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिये स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोंदामों का निर्माण करना तथा वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना है। विगत 2 वर्षो की निगम की स्थिति निम्नानुसार है :–

(क्षमता लाख मे.टन में)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	स्वयं की क्षमता	किराये की क्षमता	कुल क्षमता
2006–2007	232	10.53	1.18	11.71
2007–2008 (नवंबर 2007 तक)	234	10.99	0.88	11.87

मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन की औसत भंडारण क्षमता (स्वयं की एवं किराये की) एवं औसत उपयोगिता निम्नानुसार रही है :–

(लाख मे.टन)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	निगम की स्वयं की औसत भंडारण क्षमता	किराये की औसत भंडारण क्षमता	कुल संचित औसत भंडारण क्षमता	कुल औसत उपयोगिता	औसत उपयोगिता का प्रतिशत
2006–2007	232	10.53	1.18	11.71	8.26	71
2007–2008 (नवं. 2007 तक)	234	10.99	0.88	11.87	9.11	77

निगम में सहकारी संस्थाओं, शासन एवं शासनाधिकृत संस्थाओं, व्यापारियों एवं कृषकों द्वारा जो स्कन्ध जमा किया गया उसकी वास्तविक उपयोगिता का प्रतिशत निम्नानुसार है :–

वर्ष	सहकारी संस्थाऐं	शासन एवं अन्य शासनाधिकृत संस्थाऐं	व्यापारी	कृषक
2006–2007	31.80	28.24	30.04	9.92
2007–2008 (नवंबर 07 तक)	13.79	24.59	47.85	13.77

निगम में लाभ की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पूर्व)
2006–2007	3524.74	2759.59	765.15 (अंकेक्षण पूर्व)
2007–2008 (नवंबर 07 तक)	2543.68	1787.98	755.70 (अंकेक्षण पूर्व)

वर्ष 2006–07 के माह मार्च 2007 तक आउट स्टेण्डिंग की राशि रूपये 234. 90 लाख रही है तथा वर्ष 2007–08 में माह नवंबर 2007 तक आउट स्टेण्डिंग की राशि रूपये 176.96 लाख है।

निगम द्वारा कृषकों को वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा का लाभ पहुंचाते हुए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भण्डारण शुल्क में रियायत 100 बोरों पर प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान में कृषकों को भण्डार गृह निगम में स्कंध संग्रहित करने के दृष्टिकोण से भण्डारण शुल्क में यह रियायत 200 बोरे तक कर दी गई है।

निगम द्वारा कृषकों एवं अन्य जमाकर्ताओं को सोयाबीन भण्डारण हेतु भण्डारण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

निगम द्वारा 27 भण्डार गृह शाखाओं पर केरोसीन भण्डारण योजना के अंतर्गत एम.ओ.यू. नागरिक आपूर्ति निगम से निष्पादित किया गया है, जिनमें से 12 स्थानों पर कार्य पूर्ण करके वर्तमान में 10 भण्डार गृह शाखाओं यथा शाखा इछावर, लटेरी, तराना, जयसिंहनगर, भुआविछिया, संबलगढ़, कराहल, विजयपुर, पिछोर एवं आरौन पर केरोसीन भण्डारण के लिए डिपो प्रारंभ कर दिये गये हैं। उक्त शाखाओं के अतिरिक्त शाखा मण्डीदीप, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा व इंदौर पर केरोसीन भण्डारण करने की योजना कियान्वयन में है।

निगम 9 मई, 2006 से द्वारा आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित संस्था के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में निगम द्वारा आई.एस.ओ. 14001:2004 पर्यवरण पद्धति के लिए प्रयासरत है।

निगम के प्रधान कार्यालय एवं 6 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 40 भण्डार गृह शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु प्रक्रिया संपादित की गई है।

निगम द्वारा वर्ष 2006–07 में 54900 मे.टन क्षमता के गोदाम निर्माण किये गये हैं। वर्ष 2007–08 में निगम द्वारा 65500 मे.टन क्षमता के गोदाम निर्माण होना संभावित है। निगम द्वारा भण्डारण हेतु अधिकाधिक स्वनिर्मित वैज्ञानिक क्षमता का उपयोग किये जाने पर जोर दिया जा रहा है।

विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासकीय दक्षता बढ़ाने के दृष्टिकोण से निगम द्वारा रीवा क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना किये जाने के निर्णय अनुसार माह अप्रैल 2007 से क्षेत्रीय कार्यालय रीवा का संचालन किया जा रहा है।

निगम द्वारा बैंक आफ इंडिया एवं स्टेट बैंक आफ इंदौर के साथ स्कंध जमाकर्ता कृषकों, व्यापारियों एवं अन्य जमाकर्ताओं को उनके जमा स्कंघ के समक्ष जारी वेयर हाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा वित्तीय सुविधा (बैंक ऋण) उपलब्ध कराने का एम.ओ.यू. किया गया है, जिससे प्रदेश के जमाकर्ताओं ने लाभ उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2006–07 में जमा स्कंध पर वेयर हाउस रसीद की प्रतिभूति पर लगभग रूपये 1880.54 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के माह नवम्बर 2007 तक रूपये 1006.75 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

श्री गंगा नगर (राजस्थान) में नैफेड के लिए 10000 मे.टन क्षमता के गोदाम काम्पलेक्स गोदाम निर्माण कार्य करने के लिए Turnkey basis पर अनुबंध निष्पादित किया गया।

म.प्र.फार्म एवं बीज विकास निगम से भी रीवा एवं बाबई (होशंगाबाद) में उनके गोदाम निर्माण कार्य डिपाजिट वर्ग पर इस निगम द्वारा किया जा रहा है। शासन के निर्देशों का परिपालन करते हुए विभिन्न पदों पर विशेष भरती अभियान के तहत कार्यवाही की गई है।

निगम द्वारा स्वयं के गोदाम निर्माण कार्य के साथ अन्य विभागों के निर्माण कार्य डिपोजिट वर्क/टर्न की बेसिस पर संपादित किये जा रहे हैं। प्रदेश में शासन के स्वास्थ्य विभाग के 21 जिलों में ड्रग स्टोर सह मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक अहम एव महत्वपूर्ण ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' पर प्रथम चरण में वरिष्ठ अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला संपादित की गई, ताकि WLC के अधिकारी अपने दायित्वों के अतिरिक्त शासन के सूचना के अधिकार के दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वाहन कर सके।

म.प्र.शासन की नीति अनुसार म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 के इस निगम के साथ किये जा रहे कार्य के सफल संचालन हेतु निगम अपनी 178 भण्डार गृह शाखाओं पर स्कंध भण्डारण का कार्य संपादित कर रहा है।

जमाकर्ताओं के हित में उनके भण्डारित स्कंध का काम्प्रीहेन्सिव्ह बीमा निगम द्वारा कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आग के अतिरिक्त अन्य बाढ़, आंधी, तूफान, ओले, दंगे, आन्दोलनों इत्यादि जोखिमों का भी बीमा कराया जाता है।

राज्य शासन द्वारा एम.पी. एग्रीकल्चर वेयर हाउस रूल्स 1961 के प्रावधान में संशोधन कर प्रबंध संचालक, म.प्र.वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन को भण्डारण लायसेंस हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है। निगम द्वारा प्रायवेट वेयर हाउसिंग को प्रोत्साहन के लिए अब तक कुल 23,85,000 मे.टन क्षमता के लिए कुल 985 उद्यमियों को लायसेंस जारी किये गये हैं।

निगम द्वारा वर्तमान में सुसंपन्न एवं वृहद क्षमता (लगभग 30–40 हजार मे. टन) वाली ऐसी भण्डार गृह शाखाएं जिनका टर्न ओव्हर अधिक रहता है उन भण्डार गृह शाखाओं पर व्यावसायिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर स्वतः वेब्रिज स्थापित किये जावेगे।

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में दिनांक 31.03.2007 तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सवंर्ग में कुल 610 में से 243 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया। वित्तीय वर्ष 2007–08 में अब तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संवर्ग में कुल 609 में से 110 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

———————

परिशिष्ट 'एक'

प्रदेश में स्थित भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

क्र.	भारतीय खाद्य निगम	क्रं.	राजस्व जिले	प्रदाय केन्द्र बीपीएल/ एएवाय/ एमडीएम	बेस डिपो के नाम
1	ग्वालियर	1	ग्वालियर		1.ग्वालियर ग्वालियर
		2	भिण्ड		
		3	मुरैना		2. मुरैना मुरैना
		4	शिवपुरी		
		5	श्योपुरकलॉ	1.श्योपुरकलॉ	
		6	दतिया		3. दतिया
		7	गुना		4.अशोकनगर अशोकनगर
		8	अशोकनगर		
2	इंदौर	9	इंदौर		5. इंदौर इंदौर इंदौर
		10	धार	2.धामनोद 2.धामनोद	
		11	बडवानी		
		12	झाबुआ झाबुआ	3.मेघनगर 4.अलीराजपुर	6.मेघनगर
		13	खण्डवा		7.खण्डवा खण्डवा
		14	बुरहानपुर		
			खरगौन	5.खरगौन	
3	उज्जैन	15	उज्जैन		8.उज्जैन
		16	रतलाम		9.रतलाम रतलाम रतलाम
		17	मंदसौर		
		18	नीमच		
		19	देवास		10. देवास
		20	शाजापुर		देवास/ उज्जैन
4	भोपाल	21	बैतूल		11 बैतूल
		22	भोपाल		12.भोपाल
		23	सीहोर		भोपाल/ इटारसी
		24	होशंगाबाद		13. इटारसी

		25	हरदा		इटारसी
			राजगढ़		भोपाल / देवास
5	सागर	26	रायसेन		भोपाल विदिशा / सागर
		27	सागर सागर		सागर 14. बीना
		28	विदिशा		15.विदिशा
		29	दमोह		16. दमोह
		30	नरसिंहपुर		17.नरसिंहपुर 18. गाडरवाड़ा
6	सतना	31	सतना		19.सतना
		32	पन्ना		सतना / कटनी
		33	सीधी	6.सीधी	सतना
		34	रीवा		20. रीवा
		35	टीमकगढ़		21. निवाड़ी
		36	छतरपुर		22. हरपालपुर
7	जबलपुर	37	जबलपुर		23. जबलपुर
		38	मण्डला	7.मण्डला	
		39	डिण्डोंरी	8.डिण्डोंरी 9.शाहपुरा	
		40	सिवनी	10.सिवनी 11.लखनादौन	
		41	कटनी		24. कटनी
		42	उमरिया		25. शहडोल / कटनी
		43	शहडोल		शहडोल
		44	अनूपपुर		शहडोल
			छिन्दवाड़ा	13छिन्दवाड़ा / पाण्ढुर्णा	
			बालाघाट	14.बालाघाट	
			योग	14 +	25 = 39

परिशिष्ट 'दो'

प्रदेश में स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के जिलेवार प्रदाय केन्द्र

क्र.	जिला	प्रदाय केन्द्रों की संख्या	प्रदाय केन्द्रों का नाम
1	भिण्ड	04	भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार
2	मुरैना	06	मुरैना, अम्बाह, पोरसा, जौरा, कैलारस, संबलगढ़,
3	श्योपुरकलॉ	02	विजयपुर, श्योपुरकलॉ
4	ग्वालियर	03	ग्वालियर, डबरा, भाण्डेर
5	शिवपुरी	03	शिवपुरी, करेरा, पिछोर
6	गुना	04	गुना, राघौगढ़, आरोन, बीनागंज
7	अशोकनगर	02	अशोकनगर, मुंगावली
8	दतिया	02	दतिया, सेंवड़ा
9	इंदौर	04	इंदौर, महू, देपालपुर, सांवेर
10	धार	06	धार, बदनावर, कुक्षी, धामनोद, मनावर, राजगढ़
11	झाबुआ	05	झाबुआ, मेघनगर, अलीराजपुर, पेटलावद, जोबट
12	खरगौन	06	खरगौन,बड़वाह, सनावद, कसरावद, भीकनगांव, करही
13	बड़वानी	04	सेंधवा, बड़वानी, अंजड़, पानसेमल
14	खण्डवा	03	खण्डवा, छनेरा(हरसूद) खालवा
15	बुरहानपुर	01	बुरहानपुर
16	उज्जैन	06	उज्जैन, महिदपुर, तराना, खाचरोद, बड़नगर, नागदा
17	मन्दसौर	04	मन्दसौर, शामगढ़, पिपल्यामंडी, सीतामऊ
18	नीमच	02	नीमच, मनासा
19	रतलाम	04	रतलाम, जावरा, आलोट, सैलाना
20	देवास	06	देवास, हाटपीपल्या, सोनकच्छ, खातेगांव, कन्नौद, बागली
21	शाजापुर	07	शाजापुर, शुजालपुर, नलखेड़ा, आगर, सुसनेर, कालापीपल, अकोदिया
22	भोपाल	02	भोपाल, बैरसिया
23	बैतूल	04	बैतूल, मुलताई, भैंसदेही, आठनेर
24	सीहोर	05	सीहोर, आष्टा, नसरूल्लागंज, इछावर, बुधनी
25	रायसेन	09	रायसेन, सलामतपुर, उदयपुरा, गैरतगंज, बाड़ी, बरेली, सिलवानी, औबेदुल्लागंज, बेगमगंज
26	विदिशा	06	विदिशा, गंजबासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, शमशाबाद
27	राजगढ़	05	राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ सारंगपुर, खिलचीपुर
28	होशंगाबाद	05	होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, बानापुरा, सोहागपुर,
29	हरदा	03	हरदा, खिरकिया, टिमरनी
30	सागर	05	सागर, खुरई, बीना, देवरी, रहली,
31	दमोह	03	दमोह, हटा, तेन्दूखेडा,
32	टीकमगढ़	03	टीकमगढ़, निवाडी, जतारा

33	छतरपुर	05	छतरपुर, हरपालपुर, बड़ामल्हेरा, लोड़ी, चंदला
34	पन्ना	04	पन्ना, पवई, अजयगढ़, अमानगंज
35	जबलपुर	01	जबलपुर
36	कटनी	02	कटनी, सिहोरा,
37	नरसिंहपुर	04	नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवारा
38	छिन्दवाड़ा	03	छिन्दवाड़ा, पाण्ढूर्ना, सोंसर
39	सिवनी	03	सिवनी, लखनादौन, धूमा
40	मण्डला	04	मण्डला, नैनपुर, बिछिया, निवास,
41	डिंडोरी	01	डिंडोरी
42	बालाघाट	05	बालाघाट, वारासिवनी, बैहर कटंगी, लालबर्रा
43	रीवा	03	रीवा, चाकघाट, मउगंज
44	सतना	04	सतना, नागौद, मेहर, अमरपाटन
45	सीधी	05	सीधी, बैढ़न, देवसर, चितरंगी, मझौली
46	शहडोल	04	शहडोल, बुढार, ब्यौहारी, जयसिंहनगर
47	अनूपपुर	03	अनूपपुर, कोतमा, राजेन्द्र ग्राम
48	उमरिया	02	उमरिया, मानपुर
योग		187	

परिशिष्ट 'तीन'

प्रदेश में लीड एवं लिंक समितियों की संभागवार/जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	लीड समितियों की संख्या	लिंक समितियों की संख्या
1. जबलपुर संभाग			
1	जबलपुर	11	67
2	कटनी	10	54
3	छिन्दवाड़ा	11	129
4	मण्डला	07	45
5	डिंडोरी	04	44
6	सिवनी	10	57
7	बालाघाट	09	470
8	नरसिंहपुर	06	104
2. भोपाल/होशंगाबाद संभाग			
1	विदिशा	07	154
2	राजगढ़	08	139
3	रायसेन	13	113
4	सीहोर	05	95
5	बैतूल	18	91
6	होशंगाबाद	08	238
7	हरदा	03	219
8	भोपाल	04	34
3. इंदौर संभाग			
1	इंदौर	05	133
2	धार	13	472
3	झाबुआ	08	89
4	खरगौन	08	129
5	बड़वानी	04	54
6	खण्डवा	09	160
7	बुरहानपुर	04	52
4. ग्वालियर/चंबल संभाग			
1	शिवपुरी	09	700
2	गुना	06	100
3	अशोकनगर	06	106
4	दतिया	06	116
5	भिण्ड	11	167
7	मुरैना	09	295
6	श्योपुरकलां	04	74
7	ग्वालियर	06	81
5. उज्जैन संभाग			
1	उज्जैन	07	172

2	देवास	06	136
3	शाजापुर	05	392
4	रतलाम	04	90
5	मन्दसौर	07	119
6	नीमच	03	71
6. सागर संभाग			
1	सागर	20	848
2	दमोह	08	102
3	पन्ना	08	88
4	टीकमगढ़	06	87
5	छतरपुर	15	112
7. रीवा संभाग			
1	रीवा	16	148
2	सतना	16	156
3	सीधी	13	95
4	शहडोल	06	37
5	उमरिया	04	09
6	अनूपपुर	06	24
	योग	228	7088

वर्षवार खाद्यान्न आबंटन एवं वितरण की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	ए.पी.एल गेहूं		बी.पी.एल गेहूं		ए.ए.वाय. गेहूं	
		आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
1	2003–04	2070556	29526	1020397	890162	276492	251856
2	2004–05	2155068	19757	1128410	1059216	344195	329689
3	2005–06	1901524	121908	951613	980099	451375	461893
4	2006–07	339106	84912	728854	717630	540525	514733
5	2007–08 (जनवरी तक)	79770	57505	549558	543663	419529	399206

क्रमांक	वर्ष	ए.पी.एल चावल		बी.पी.एल चावल		ए.ए.वाय. चावल	
		आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
1	2003–04	464844	1198	210255	160919	54113	52423
2	2004–05	380304	3621	199132	189448	60739	57135
3	2005–06	633848	6191	245900	240023	80568	79203
4	2006–07	702840	19961	336884	317724	102646	96796
5	2007–08 (जनवरी तक)	19170	13403	252202	241636	77954	71644

वर्षवार शक्कर आबंटन एवं वितरण की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	आबंटन	वितरण
1	2003–04	154038	17191
2	2004–05	157037	73458
3	2005–06	153752	69984
4	2006–07	157364	81164
5	2007–08 (जनवरी तक)	131918	54591

परिशिष्ट 'पांच'

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की वर्तमान में
उपभोक्ता दरें

(प्रति किलो / लीटर)

क्रमांक	वस्तु	ए0पी0एल0	बी0पी0एल0	ए0ए0वाय0
1	2	3	4	5
1	गेहूं	7.00	5.00	2.00
2	चावल	9.20	6.50	3.00
3.	मोटे अनाज	—	3.82	1.50
3	शक्कर	—	13.50	13.50
4	मिट्टी तेल	रू0 9.19 से 11.17 पैसे कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित		

उचित मूल्य दुकानें

क.	जिला	शहरी	ग्रामीण	योग
1	भिण्ड	141	389	530
2	मुरैना	129	166	285
3	श्योपुरकला	18	165	183
4	ग्वालियर	183	311	494
5	शिवपुरी	68	632	700
6	गुना	57	154	211
7	अशोकनगर	29	161	190
8	दतिया	39	177	216
9	इंदौर	345	167	512
10	धार	55	544	599
11	झाबुआ	24	336	360
12	खरगौन	53	401	454
13	बड़वानी	55	226	281
14	खण्डवा	56	265	321
15	बुरहानपुर	59	109	168
16	उज्जैन	161	395	556
17	मंदसौर	40	338	378
18	नीमच	66	218	284
19	रतलाम	92	282	374
20	देवास	92	311	403
21	शाजापुर	60	332	392
22	भोपाल	271	127	398
23	बैतूल	42	506	548
24	सीहोर	42	259	301
25	रायसेन	37	438	475
26	विदिशा	67	374	441
27	राजगढ़	59	306	365
28	होशंगाबाद	83	309	392
29	हरदा	46	173	219
30	सागर	138	710	848
31	दमोह	41	390	431
32	टीकमगढ़	71	119	190
33	छतरपुर	86	566	652
34	पन्ना	19	394	413
35	जबलपुर	466	536	1002
36	कटनी	87	386	473
37	नरसिंहपुर	26	276	302
38	छिन्दवाड़ा	82	501	583
39	सिवनी	25	343	368
40	मण्डला	21	337	358
41	डिण्डोंरी	04	175	179
42	बालाघाट	38	432	470
43	रीवा	11	612	623
44	सतना	86	720	806
45	सीधी	56	635	691
46	शहडोल	36	354	390
47	अनूपपुर	23	236	259
48	उमरिया	15	218	233
योग		3800	16511	20311

परिशिष्ट 'सात'

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्डो की जानकारी

दिनांक 01.01.2008 की स्थिति में

क्र.	जिला	एपीएल	बीपीएल	अन्त्योदय अन्न योजना
1	2	3	4	5
1	भिण्ड	184420	49133	19606
2	मुरैना	246521	69331	162347
3	श्योपुरकला	72319	28765	34282
4	ग्वालियर	310616	34712	28850
5	शिवपुरी	182713	75144	52866
6	गुना	125897	81448	40036
7	अशोकनगर	81600	55829	27652
8	दतिया	103380	42327	7499
9	इंदौर	606522	104358	27020
10	धार	273365	127690	36243
11	झाबुआ	139399	120923	38670
12	खरगौन	199922	108652	33609
13	बड़वानी	98022	139715	29220
14	खण्डवा	167607	84876	28048
15	बुरहानपुर	96634	45371	14272
16	उज्जैन	206513	115155	26927
17	मंदसौर	168747	87813	18776
18	नीमच	98908	63568	12762
19	रतलाम	190622	86895	22321
20	देवास	167588	82935	27549
21	शाजापुर	137479	132298	26082
22	भोपाल	408120	124337	42138
23	बैतूल	186740	72513	31975
24	सीहोर	119346	89196	20667
25	रायसेन	156956	73026	32944
26	विदिशा	151720	109517	25724
27	राजगढ़	126266	146853	30895
28	होशंगाबाद	130730	89361	20680
29	हरदा	65177	35614	7872
30	सागर	206373	200946	57807
31	दमोह	89743	135082	37360
32	टीकमगढ़	15345	2311	26483
33	छतरपुर	198000	6399	35421
34	पन्ना	93905	2355	27213
35	जबलपुर	406173	19081	58666

36	कटनी	151719	550	13408
37	नरसिंहपुर	77291	6327	28659
38	छिन्दवाड़ा	215823	3845	51537
39	सिवनी	132620	90792	35067
40	मण्डला	83346	72746	58075
41	डिण्डोंरी	56844	61945	23872
42	बालाघाट	272336	123087	68057
43	रीवा	220334	135786	74045
44	सतना	197470	205384	55895
45	सीधी	161886	175556	56793
46	शहडोल	99670	84538	41183
47	अनुपपुर	57025	61784	18262
48	उमरिया	66628	45620	29883
योग		8146380	4544241	1579108

परिशिष्ट 'आठ'

प्रदेश में मिट्टी तेल के आबंटन/उठाव की वर्षवार स्थिति

(मात्रा के.एल. में)

क्रमांक	वर्ष	आबंटन	उठाव
1	2001	662967	661865
2	2002	643914	643914
3	2003	628866	628778
4	2004	616609	615031
5	2005	639891	631884
6	2006	628646	627231
7	2007	627840	624032

परिशिष्ट 'नौ'

पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा
एल.पी.जी. डीलर्स की जानकारी

क्र.	ऑयल कंपनी का नाम	पेट्रोल/डीजल पम्प	केरोसीन डीलर्स	एल.पी.जी. डीलर्स
1	आई.ओ.सी.	537	164	295
2	बी.पी.सी.	448	60	131
3	एच.पी.सी.	359	65	143
4	आई.बी.पी.	91	17	00
5	रिलायंस	84	00	00
6	एस्सार	37	00	00
	योग	1656	306	569

परिशिष्ट 'दस'

केरोसीन डिपो की जानकारी

क्र.	स्थान	जिला	आई.ओ.सी.	बी.पी.सी.	एच.पी.सी.	आई.बी.पी.
1	भोपाल/बकानिया	भोपाल	01	01	01	00
2	इंदौर	इंदौर	01	01	01	00
3	ग्वालियर	ग्वालियर	01	01	01	00
4	जबलपुर	जबलपुर	01	01	01	00
5	इटारसी	होशंगाबाद	01	00	00	00
6	रतलाम	रतलाम	01	00	00	00
7	सागर	सागर	01	00	01	00
8	जयन्त	सीधी	01	00	00	00
	योग		08	04	05	00

परिशिष्ट 'ग्यारह'

पेट्रोलियम कंपनियों के एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट

क्र.	बॉटलिंग प्लांट	आई.ओ.सी.	बी.पी.सी.	एच.पी.सी.	योग
1	बकानिया भौरी भोपाल	1	—	—	1
2.	गटिया उज्जैन	1	—	—	1
3	ताल राघोगढ़ गुना	1	—	—	1
4	भिटौनी जबलपुर	—	1	—	1
5	पीथमपुर धार	—	1	—	1
6	मांगलिया इंदौर	—	—	1	1
7	मनेरी मण्डला	—	—	1	1
	योग	3	2	2	7

जन केरोसीन परियोजना के चयनित विकासखण्ड की सूची

क्रमांक	जिला	ब्लाक का नाम
1	श्योपुरकला	1. कराहल
		2. विजयपुर
2	शिवपुरी	3. करैरा
		4. पिछोर
3	मण्डला	5. बिछिया
4	उज्जैन	6. तराना
5	विदिशा	7. लटेरी
		8. ग्यारसपुर
6	गुना	9. आरोन
7	मुरैना	10. सबलगढ़
8	शहडोल	11. जयसिंह नगर
9	झाबुआ	12. उदयगढ़
10	बड़वानी	13. सेंधवा
11	भिण्ड	14. गोहद
12	छिन्दवाड़ा	15. सौंसर
13	दमोह	16. जवेरा
14	धार	17. मनावर
15	ग्वालियर	18. भितरवार
16	जबलपुर	19. पनागर
17	खण्डवा	20. छनेरा
18	खरगौन	21. कसरावद
19	सिवनी	22. लखनादौन
20	पन्ना	23. पवई
		24. शाहनगर
21	रायसेन	25. उदयपुरा
22	रतलाम	26. जावरा
23	सागर	27. बीना
24	सीहोर	28. इछावर

समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न खरीदी की दरों की तुलनात्मक जानकारी

(प्रति क्विंटल रूपयों में)

क.	खाद्यान्न	1999—00	2000—01	2001—02	2002—03	2003—04	2004—05	2005—06	2006—07	2007—08
1	गेहूं	550+10	580	610	620	620+10	630	640	650	750+100
2	धान—कॉमन	490	510	530	530+20	550	560	570	580	645+100
	फाईन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	सुपरफाईन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ग्रेड 'ए'	520	540	560	560+20	580	590	600	610	675+100
	स्वर्णा	490	—	—	—	—	—	—	—	—
3	ज्वार	415	445	485	485+05	505	515	525	540	600
4	बाजरा	415	445	485	485+10	505	515	525	540	600
5	मक्का	415	445	485	485+05	505	525	540	540	620

1. + भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003—04 के लिये घोषित विशेष सूखा राहत मूल्य।
2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006—07 के लिये समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदी हेतु गेहूं के लिए रूपये 50/— एवं चावल के लिए रू. 40/— प्रति क्विंटल की दर से बोनस की घोषण की गई है।
3. भारत शासन द्वारा वर्ष 2007—08 के लिए समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदी हेतु गेहूं के लिए रू. 100/— एवं धान के लिए रू. 100/— प्रति क्विंटल की दर से बोनस की घोषणा की गई है।

परिशिष्ट 'चौदह'

समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन

(मात्रा मे.टन में)
(दिनांक 22.02.2008 तक)

खाद्यान्न	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
धान	64538.3	148623	40252	129552	104364	100133
ज्वार	2936	798	–	218	–	00
बाजरा	0	87	320	0	–	00
मक्का	27	20177	1305	2788	–	754
गेहूं	435369	348713	348713	484351	–	57447

प्रदेश में कार्यरत जिला उपभोक्ता विवाद फोरम की जानकारी
(31.12.2007 की स्थिति में)

क्र.	पूर्णकालिक जिला फोरम	क्र.	अंशकालिक जिला फोरम
1	2	3	4
1	मुरैना	1	सीधी
2	ग्वालियर	2	राजगढ़
3	गुना	3	शाजापुर
4	इंदौर	4	मण्डलेश्वर (खरगौन)
5	खण्डवा	5	देवास
6	उज्जैन	6	सीहोर
7	मंदसौर	7	बैतूल
8	भोपाल	8	बड़वानी
9	होशंगाबाद	9	बालाघाट
10	सागर	10	शहडोल
11	जबलपुर	11	पन्ना
12	सिवनी	12	झाबुआ
13	रीवा	13	नरसिंहपुर
14	सतना	14	टीकमगढ़
15	धार	15	दतिया
16	छिन्दवाड़ा	16	रायसेन
17	शिवपुरी	17	उमरिया
18	विदिशा	18	डिण्डोंरी
19	भिण्ड	19	हरदा
20	रतलाम	20	नीमच
21	कटनी	21	श्योपुरकला
22	छतरपुर	22	मण्डला
23	दमोह	23	अशोकनगर
		24	अनूपपुर
		25	बुरहानपुर